न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री नीरज मिश्र आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 137/2019

प्रार्थीनी	बनाम	विप्रार्थीगण
1 जड़ावकंवर पुत्री तेजमालसिंह उर्फ सुजानसिंह पत्नी किशनसिंह जाति राजपूत निवासी गोरधनपुरा मारूड़ी हाल निवासी तालमोर तहसील गडारा रोड व जिला बाडमेर।		1 कानसिंह 2 नखतसिंह पिसरान तेजमालसिंह जाति राजपूत निवासी गोरधनपुरा (मारूड़ी) तहसील बाडमेर 3 मांगीलाल पुत्र आसूलाल जाति जैन निवासी चौहटन तहसील चौहटन जिला बाडमेर 4 तहसीलदार बाडमेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 RTA Act.

उपस्थिति :– 1 श्री हुकमसिंह चौधरी, वकील प्रार्थीनी।
2 श्री राणाराम गौड़, वकील अप्रार्थी संख्या 03।

निर्णय

दिनांक 15.10.19

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीनी द्वारा राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 209 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है जिसमे प्रार्थीनी को सफलता मिलने की पूरी संभावना है। प्रार्थीनी द्वारा एक ओवदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वक्त सेटलमेन्ट मौजा मारूड़ी पटवार क्षेत्र मारूड़ी तहसील बाडमेर के खसरा संख्या 178 रकबा 22.00 बीघा, खसरा संख्या 233 रकबा 0.15 बीघा, खसरा संख्या 236 रकबा 03.12 बीघा, खसरा संख्या 237 रकबा 12.11 बीघा कुल रकबा 38.18 बीघा और खसरा नम्बर 322 रकबा 08.04 बीघा की आई हुई है। उक्त खसरों की भूमि का पर्चा लगान प्रार्थीनी के पिता तेजमालसिंह उर्फ सुजानसिंह व उसके भाईयों के नाम से जारी हुआ था। तेजमालसिंह उर्फ सुजानसिंह के देहान्त पर उक्त भूमि का म्यूटेशन विप्रार्थी संख्या 01 व 02 के नाम दर्ज किया गया, जबकि विप्रार्थी संख्या 01 व 02 के अतिरिक्त एक अन्य प्रथम श्रेणी की वारिस प्रार्थीनी भी थी। उक्त खसरों की भूमि में तेजमालसिंह उर्फ सुजानसिंह के बंट में राजस्व ग्राम गोरधनपुरा के खसरा नम्बर 695/236 रकबा 02.02 बीघा, खसरा नम्बर 698/237 रकबा 0.06 बीघा और राजस्व ग्राम पाबुसरा की खसरा संख्या 689/322 रकबा 01.00 बीघा कुल रकबा 09.02 बीघा भूमि आती है। उक्त खसरों की भूमि में प्रार्थीनी एवं अप्रार्थी संख्या 01 व 02 का 1/3–1/3 हिस्सा का मौके पर कब्जा काश्त है। उपर्युक्त खसरों की भूमि में से विप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने अपने 2/3 हिस्से की अधिक की भूमि खसरा नम्बर 695/236 रकबा 02.02 बीघा, खसरा नम्बर 698/237 रकबा 6.08 बीघा सम्पूर्ण भूमि का बेचान जरिये रजिस्टर्ड दिनांक 18.06.2013 को श्रीमती लक्ष्मी पत्नी कन्हैयालाल जाति सोनी निवासी बाडमेर को किया, जिसका नामान्तकरण संख्या 34 दर्ज हुआ। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 द्वारा दुसरा बेचान दिनांक 06.06.2013 रजिस्टर्ड दिनांक 18.06.2013 को खसरा संख्या 689/322 रकबा 01.00 बीघा भूमि का कन्हैयालाल पुत्र मोहनलाल जाति सोनी निवासी बाडमेर को किया जिसका नामान्तकरण संख्या 39 दर्ज किया गया। उक्त लक्ष्मीदेवी द्वारा दिनांक 09.01.2014 रजिस्टर्ड दिनांक 13.01.2014 को

सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

Scanned by CamScanner

मुकेश कुमार को बेचान किया जिसका नामान्तकरण संख्या 33 दर्ज किया गया। उक्त मुकेश कुमार द्वारा दिनांक 11.04.2014 को उपर्युक्त खसरों की भूमि का बेचान विप्रार्थी संख्या 03 मांगीलाल को किया गया, जिसका नामान्तकरण संख्या 47 दर्ज किया गया और कन्हैयालाल द्वारा भी दिनांक 11.04.2014 को उक्त खसरा की भूमि का बेचान विप्रार्थी संख्या 03 मांगीलाल को किया गया जिसका नामान्तकरण संख्या 50 दर्ज किया गया। उक्त सभी बेचान प्रार्थीनी के हिस्सा 1/3 तक अवैध व शून्य है। अप्रार्थीगण, प्रार्थीनी को उसके हिस्से की भूमि से बेदखल करने पर उतारू है। यदि वे उसमे सफल होते है तो प्रार्थीनी को अपूर्णीय क्षति होगी। लिहाजा प्रार्थीनी के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जावे कि अप्रार्थीगण प्रार्थीनी के उसके कब्जा काश्त से बेदखल न करे और न ही भूमि का हस्तान्तरण किसी अन्य को करे। मौके व रेकर्ड की यथा स्थिति बनाये रखें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नॉटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 03 की और से वकील उपस्थित।

अस्थाई अस्थाई निषेधाज्ञा पर उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीनी द्वारा आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीनी का हित निहित है। प्रार्थीनी तेजमालसिंह उर्फ सुजानसिंह की पुत्री होने के नाते प्रथम श्रेणी की वारिस है। प्रार्थीनी का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त है। प्रार्थीनी को उसके कब्जे काश्त से बेदखल किया जाता है तो प्रार्थीनी को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीनी के पक्ष में है। प्रार्थीनी अस्थाई अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी है।

वकील अप्रार्थी संख्या 03 द्वारा बहस के दौरान अवगत करवाया कि अप्रार्थी संख्या 03 द्वारा वादग्रस्त भूमि अभिलिखित खातेदार से जरिये रजिस्टर्ड बेचान क्रय की गई है। रजिस्टर्ड बेचान के साथ ही अप्रार्थी संख्या 03 को उक्त भूमि का कब्जा सुपूर्द किया गया था ओर तब से आज तक उक्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 03 का कब्जा निर्बाद रूप से चला आ रहा है। प्रार्थीनी का वादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त नही है। अप्रार्थी संख्या 03 वादग्रस्त भूमि का अभिलिखित खातेदार है। अभिलिखित खातेदार के विरूद्ध प्रार्थीनी अस्थाई अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त की अधिकारिणी नही है। प्रथम दृष्टया प्रकरण अप्रार्थी संख्या 03 के पक्ष में है तथा सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु भी अप्रार्थी संख्या 03 के पक्ष में है। लिहाजा अस्थाई अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन खारिज योग्य है।

हमने पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी संख्या 03 द्वारा अभिलिखित खातेदार से क्रय की गई है और उनके पक्ष में खातेदारी इन्द्राज भी हो चुके है। संलग्न विक्रय पत्र के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि वादग्रस्त भूमि पर क्रेता अप्रार्थी संख्या 03 का कब्जा है। न्याय के मतानुसार कब्जा धारण किये

सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

Scanned by CamScanner

हुए अभिलिखित खातेदार के विरूद्ध अस्थाई अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। अप्रार्थी संख्या 03 जो इस भूमि के क्रेता है, राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज है तथा प्रथम दृष्टया भूमि पर कब्जा अप्रार्थी संख्या 03 का ही होना पाया गया है। प्रार्थीनी को इस वादग्रस्त भूमि में जन्मजात खातेदारी अधिकार प्राप्त है अथवा नही यह बिन्दु मूल वाद से निर्धारित होगा। इस बिन्दु का निर्णय अस्थाई अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन से नही किया जा सकता है।

अतः प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर
बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 15/10/19 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर
बाड़मेर

To cont. 4

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2019.12.24 11:28:42 IST
Reason: SelfAttested
Location: